सत्यमेव जयते

# राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
# National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

## नोटिस

**फा. सं.: NCST/DEV-1575/MH/9/2023-ESDW** **दिनांक: 21.04.2023**

**श्रीमती मनीषा खत्री,**
जिला कलेक्टर,
जिला-नंदुरबार,
कलेक्टर कार्यालय,
नंदुरबार-425412, महाराष्ट्र
ई-मेल:collector.nandurbar@maharashtra.gov.in

**श्री रघुनाथ के. गोवाडे,**
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद्, नंदुरबार, महाराष्ट्र,
प्रशासकीय इमारत जिल्हा परिषद नंदुरबार,
टोकर तलाव रोड, नंदुरबार- 425412,
महाराष्ट्र
ई-मेल: ceozp.nandurbar@maharashtra.gov.in

**सुश्री नयना गुंडे,**
आयुक्त,
आदिवासी विकास विभाग, नासिक,
महाराष्ट्र सरकार,
आयुक्तालय नासिक,
आदिवासी विकास भवन, पुराना आगरा रोड,
नासिक - 422 002।
ई-मेल: ctd.nsk-mh@gov.in

**विषय: समाचार कतरन, लोकमत न्यूज़, जलगाँव, महाराष्ट्र में दिनांक 31.03.2023 में प्रकाशित समाचार** "प्रधानमंत्री योजना के तहत आदिवासियों के लिए बनाई गई घरकूल योजना में घोटाला करने " के सम्बन्ध में ।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को समाचार पत्र मे प्रकाशित लेख **समाचार कतरन, लोकमत न्यूज़, जलगाँव, महाराष्ट्र में दिनांक 31.03.2023 में प्रकाशित समाचार** "प्रधानमंत्री योजना के तहत आदिवासियों के लिए बनाई गई घरकूल योजना में घोटाला करने " के सम्बन्ध में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न), और आयोग ने इस मामलें का **स्वतः संज्ञान** लेते हुये भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है।अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के **03 दिनों के भीतर** अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें ।

**कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है ।**

संलग्न यथोपरि.

**(डॉ. जयंत सरोदे)**
**निदेशक**

**प्रतिलिपि संलग्न:**

1. एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु.